Female child labour

*491. SHRI H.K. JAVARE GOWDA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether number of female child workers is increasing in the country and they are not getting their due payments, if so, the details thereof:

(b) whether it is also a fact that female child labour are not getting free education and health care, if so, the reasons therefor:

(c) the steps Government propose to take for their welfare: and

(d) the details of the female child labourers in Karnataka and the beneficiary schemes for them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI VIJAY GOEL): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) No, sir.

(c) The Government has been implementing the Scheme of National Child Labour Projects (NCLPs) since 1987 for withdrawal and rehabilitation of child labour including female child labour, with provision for non-formal/formal education, vocational training, nutrition, stipend and health check-up etc. So far, NCLPs have been set up in 100 child labour endemic districts of 13 States in the Country. In addition, Government has also been implementing the scheme of Grant-in-Aid to Non-Governmental/Voluntary Organisations for providing financial assistance for taking up action oriented projects for rehabilitation of child labour.

(d) The number of children who are not going to schools for various reasons in the State of Karnataka in the age group of 5-14 years are 13 lakh. The female child labour are a part of the non-school going group of children. The percentage of female child labour to total child labour as per the 1991 Census is 45.18% in the country. The National Child Labour

Project which is implemented in 7 endemic districts of Karnataka provides to the female child labourers non-formal/formal education, vocational training, nutrition, stipend and health check up as mentioned above.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA: Sir, the main question pertains to female child workers. Part (a) of my question is whether the number of female child workers is increasing in the country and whether they are not getting their due payments, the answer that has been given is 'No', Sir. And, the reference that has been made pertains to 1991 census. This is how the answer has been prepared by the officers and passed on to the Minister. Now, I will come to my supplementary. If that being the case, look at the number of maids working all over the country, in the houses of politicians, bureaucrats and of almost all the houses of persons belonging to economically higher sections of the society. This is the case all over the country. What I am submitting is, the female children, aged about 6 to 12 years, are working to earn their livelihood and to feed their parents. Is the Minister bold enough to refer to figures of 1991 Census? What is the position of child labour in 2000, 2001 and 2002?

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। Hon. Member, please, take your seat. You have already put the question. Now, let me reply.

श्री विजय गोयल: सभापति महोदय, मैं सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं किन्तु हमारे पास जो सेंसस है वह 1990-91 का है जिसमें कुल चाइल्ड लेबर एक करोड़ तेरह लाख हैं। इसमें फीमेल चाइल्ड लेबर 45.18 परसेंट है और मेल 54.82 परसेंट हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI H.K. JAVARE GOWDA: It is the Census of 1991.

श्री विजय गोयल: फिर भी सदस्य की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1999-2002 के अंदर जो एन.एस.एस.ओ. का 55th राउन्ड है उसमें जो चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है, वह संख्या एक करोड़ चार लाख के लगभग है।

SHRI H.K. JAVARE GOWDA: Even though it is not reflecting the true picture of female child labour, I am putting my second supplementary. The Minister has specifically stated about the State of Karnataka. I want to know about the steps taken to identify female child labour and rehabilitation. It is stated that there are seven endemic districts in Karnataka. Would the Minister tell us the names of those districts, what are those schemes and the amount spent on those schemes in the past three years?

श्री विजय गोयल: यह हमारा जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत टोटल देश के अंदर तेरह राज्यों में सौ डिस्ट्रिक्ट एडोप्ट किए हैं। उनमें से एक कर्नाटक भी है। सौ डिस्ट्रिक्ट में चार हजार से ज्यादा स्कूल खोले हैं। 1987 में जहां केवल पांच डिस्ट्रिक्ट में काम था अब वहां सौ में है जिसको बढ़ाकर अब डेढ़ सौ कर रहे है। कर्नाटक के जिन डिस्ट्रिक्ट में यह काम चल रहा है उनके नाम हैं, बीजापुर, रायचुर, धारवाड़, बैंगलोर रूरल और बैंगलोर अर्बन।

श्री सभापति: मेरे पास सात महिलाओं के सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने के लिए नोटिस हैं। इनमें एक पृथ्वीराज चव्हाण भी हैं ...(**व्यवधान**)... महिला नहीं हैं, ...(**व्यवधान**)... लेकिन मैं आपको एलाऊ नहीं कर रहा हूं।

श्री प्रेम गुप्ता: सात महिलाओं में ये कैसे आ गए?

श्री सभापति: अब ये तो खुद ही सोचें।

MISS MABEL REBELLO: Sir, the States of Jharkhand, Chhattisgarh and Orissa are having lots of tribal areas, and there is no infrastructure in these areas. Because of that, female children are not being educated, and most of these female child labour come to Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and other metropolitan cities. The female child labour are not only made to work in houses of corporates and big businessmen, but they are also sexually exploited. As a result of that, female child prostitution is rampant. I would like to know from the hon. Prime Minister also who is sitting here, as to what the Government is doing to protect the female child labour.

श्री विजय गोयल: सर, बाल श्रमिकों की समस्या एक बड़ी समस्या है किन्तु 1998 के अंदर जो सरकार का एजेंडा था उसमें उनको उन्होंने प्रमुखता से लिया है। केवल श्रम मंत्रालय ही नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय भी मिलकर इसको करेगा। इसीलिए सर्वशिक्षा अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया गया ताकि सभी प्रकार के बच्चे, वे जहां भी हों उनको पढ़ाने के लिए वहां से निकाला जा सके। जो स्कीम आप लागू कर रहे हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं किन्तु मैं सदस्यों को यह कहना चाहूंगा कि यह केवल सरकार के बलबूते नहीं होगा। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों को भी काफी बड़ी संख्या में आगे आना पड़ेगा तभी बाल श्रम का उन्मूलन हो पाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ठीक है। श्रीमती शबाना आज़मी।

कुमारी मैबल रिबैलो: आपने इनको ...(**व्यवधान**)... क्या करना चाहते हैं?

श्री विजय गोयल: सर, बहुत सारे एन.जी.ओज., जैसा मैंने आपको बताया...**(व्यवधान)**.. कि सौ डिस्ट्रिक्ट थे अब ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: माननीय सदस्या यह बता दीजिए कि आप सब महिलाओं की तरफ से प्रश्न पूछ रही हैं क्या?

श्री विजय गोयल: फिर भी मैं सदस्यों को कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में सेवा संगठन आगे आ रहे हैं। अभी तमिलनाडु में त्रिचि के अंदर एक संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर रिकोग्नाइज किया गया है...**(व्यवधान)**...

कुमारी मैबल रिबैलो: झारखण्ड में ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय गोयल: सभापति जी, इनके साथ दिक्कत यह है कि ये जवाब नहीं देने देती हैं... **(व्यवधान)**...

कुमारी मैबल रिबैलो: सभापति जी, वहां ...**(व्यवधान)**....

श्री सभापति: आप बैठ जाइए...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए...**(व्यवधान)**... ये अभी वहां होकर आई हैं।

SHRIMATI SHABANA AZMI: Sir, through you, I wish to ask the hon. Minister that, if the Government is really serious about eliminating child labour, then what is the obstacle in ratifying and implementing the ILO Convention 138 on 'Minimum Age for Employment', and Convention 182 on 'Worst Forms of Child Labour' which include bonded labour, child prostitution and, as the hon. Member has mentioned, the use of children for pornographic purposes, employment of children in hazardous tasks, the use of children for criminal activities like drug peddling, etc. Now, 136 countries, in the past three years, have ratified this Convention, which include Sri Lanka, Pakistan and Nepal. Only India has not ratified it. What is the reason for this not happening?

श्रम मंत्री (श्री साहिब सिंह वर्मा): सभापति जी, माननीय सदस्या ने कहा है है कि आई.एल.ओ. की 138 और 182 कंवेशन का पालन नहीं किया जा रहा है जबकि बहुत से देश इसे कर चुके हैं। इस संबंध में मेरा यह कहना है कि वहां जो एज रखी है, 138 में, वह एटीन ईयर रखी है जबकि हमारे यहां जो कांस्टीट्यूशन प्रोविजन है उसमें बालकों की ऐज फोर्टिन ईयर है। दूसरी बात

यह भी है कि आप किसी कंवेशन को रेटीफाई तो कर देते हैं लेकिन पहले से ही बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो बाल श्रम को लेकर हमें बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल लेबल पर काम करती हैं, वे वहां पर घूमते रहते हैं। हम यह नहीं चाहते। हम इसके लिए डिटरमिन्ड हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 2007 तक चाइल्ड लेबर को इलिमिनेट करेंगे। सभी बच्चों को शिक्षा मिले इसकी एच.आर.डी. मिनिस्ट्री व्यवस्था कर रही है, इसके मूल में जो बात है वह गरीबी है। गरीबी हटाने के लिए अनेकों योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं ताकि हम उसे खत्म कर सकें। हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई और आकर डंडा घुमाए और कहे कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप वैसा नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जो हम टेक्नोलॉजी ट्रांस्फर करते हैं–जैसे किसी का बाप गलीचे का काम करता है, उसका बेटा ...(**व्यवधान**)..

श्री सभापति: इसे छोड़िए ...(**व्यवधान**)...

श्री साहिब सिंह वर्मा: उसका बेटा सुनार ...(**व्यवधान**).. सुनार के साथ ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: एक मिनट सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री साहिब सिंह वर्मा: क्यों नहीं कर रहे हैं, यह बता रहा हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, यह समस्या बहुत गंभीर है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसे गंभीरता से ले।

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, मैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, चूंकि आपने इसके लिए कहा है ...(**व्यवधान**)... मैं चाहूंगी क्योंकि वे यहां बैठे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: मैंने आपकी तरफ से कह दिया है, आप बैठ जाइए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: आपने कहा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुटीर, खादी और ग्रामोद्योगों पर कर

*492. **श्री रमा शंकर कौशिक:** क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 14 मार्च को यह संकेत दिया था कि सरकार ने कुटीर, खादी और ग्रामोद्योग पर कर लगाने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप इन उद्योगों के समस्त उत्पादों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा;